

प्रेस नोटथाना-बिलरियागंजहत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार**घटना का संक्षिप्त विवरण :-**

दिनांक 26.03.24 को वादी मुकदमा सूर्यकान्त शुक्ला पुत्र श्रीकान्त शुक्ला ग्राम बरौली दिवाकर पट्टी थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी विजय नारायन पाण्डेय पुत्र स्व० सत्यधन पाण्डेय उर्फ शशिधर पाण्डेय निवासी बरौली दिवाकरपट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ आदि द्वारा गाटा सं० 184 को कब्जा करने व मना करने पर वादी के पिता श्रीकान्त शुक्ला, भाई राजकुमार शुक्ला व भाभी महिमा शुक्ला को घर में घुसकर मारपीट की गयी तथा जान से मारने का प्रयास किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 91/2024 धारा 34/307/323/452/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 05.04.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विजय नारायन पाण्डेय पुत्र स्व० सत्यधन पाण्डेय निवासी बरौली दिवाकरपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को भीमवर नहर पुलिया के पास से समय करीब 10.30 बजे पर हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु०अ०सं० 91/24 धारा 34/ 307/323/452/504/506 भादविथाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- विजय नारायन पाण्डेय पुत्र स्व० सत्यधन पाण्डेय उर्फ शशिधर पाण्डेय निवासी बरौली दिवाकरपट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र 44 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- एक बांस का डण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- हे०का० रामनिवास यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- का० महेन्द्र मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- का० स्वातेश कुमार पटेल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- फूलपुर150 पुडिया हेरोइन के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05-04-2024 उ०नि० रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा चेकिंग दौरान अभियुक्त 1 चन्द्रशेखर प्रजापति पुत्र स्व० शिवपूजन प्रजापति ग्राम मडना थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 35 वर्ष को मेन रोड से भिखपुर गांव जाने मोड पर से 150 पुडिया (09 ग्राम कागज सहित व 1.5 ग्राम) हिरोईन के साथ समय करीब 08.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना फूलपुर पर मु०अ०सं० 164/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु०अ०सं० 164/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-चन्द्रशेखर प्रजापति पुत्र स्व० शिवपूजन प्रजापति ग्राम मडना थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 150 पुडिया (09 ग्राम कागज सहित व 1.5 ग्राम) हेरोइन

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- उ०नि० रज्जन द्विवेदी मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाले अभियुक्त अपने भतीजे के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

वादी खिचडू राम पुत्र विकानू नि० नोनीपुर उर्फ नई कोट थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दिया कि मेरी लड़की आशा देवी की शादी पहले सुरेश पुत्र रामलखन पुत्र लढ्ढेपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर के साथ हुई थी उसकी दो पुत्रिया 1- खुशबू तथा 2- रिकू पैदा हुई इसके बाद वहां से आशा का विवाह विच्छेद हो गया, तब करीब 12 वर्ष पहले मेरी पुत्री आशा की दूसरी शादी कैलाश पुत्र रामधारी नि० सिधारी थाना मेंहनगर के साथ हुई दोनों पुत्रिया अपने ननिहाल में रहती है कैलाश की भी पहली पत्नी से 03 लड़के पहले से थे जिसका नाम 1-रविकुमार 2-डी-एम (सन्दीप) 3.टाइगर था मेरी पुत्री हंसी खुसी से अपने दूसरे पति कैलाश के साथ रहती थी कैलाश पल्हना ब्लाक में सफाई कर्मी है मेरी लड़की के नाम से लोन लिया था फिर लोन लेने की बात कर रहा था मेरी लड़की लोन के लिए मना कर दी इसलिये उसे मरवा पिटवाया था लडकी हम लोगो से बताई थी दिनांक 31.03.2024 को विपक्षी 1 कैलाश S/O रामधारी 2- अर्जुन S/O सुबाष 3- डी0एम(सन्दीप)S/O कैलाश तथा 4-टाइगर पुत्र कैलाश मिलकर मेरी लडकी आशा को हत्या करके जितेन्द्र राजभर S/O सन्तुराजभर R/O सिधारी की बोलेरो गाडी UP62AD1556 पर मेरी लडकी शव लादकर अन्तिम संस्कार के लिए राजघाट आजमगढ ले गये अन्तिम संस्कार मे विपक्षी 1- नन्दलाल पुत्र श्यामलाल 2-सूबेदार S/O श्यामलाल 3-विजयी S/O सभाजीत भी साथ जाकर सहयोग किये है। बोलेरो को विपक्षी टाइगर S/O कैलाश चलाकर ले गया था राजघाट मे नाम पता बदलकर मेरी लडकी की लाश को जला दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं 121/24 धारा 34/302/201 भादवि बनाम 1.कैलाश पुत्र रामधारी 2.अर्जुन पुत्र सुबाष 3.डीएम उर्फ सन्दीप पुत्र कैलाश 4.टाईगर पुत्र कैलाश 5.नन्दलाल पुत्र श्यामलाल 6.सूबेदार पुत्र श्यामलाल 7.विजयी पुत्र सभाजीत सा० सिधारी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ पंजीकृत करके पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 05.04.2024 को प्र०नि० संजय कुमार सिंह मय हमराह नि०अपराध जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.कैलाश राम पुत्र रामधारी, 2.अर्जुन पुत्र सुबाष निवासीगण सिधारी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ को पल्हना चौराहा के पास से समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त कैलाश राम की निशा देही पर मृतका के सिर के बाल व टूटी चुड़ी, घटना के समय अभि० द्वारा पहनी गयी सर्ट बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरी चौथी पत्नी मृतका आशा अपने पहले पति की पुत्री खुशबू की शादी हेतु बार – बार मेरे ऊपर दबाव बना रही थी जबकि उसकी लड़की का चाल-चलन ठीक नहीं था और मेरे द्वारा पूछे जाने पर वह सही ढंग से जवाब न देकर मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगती थी घटना के दिन भी वह मुझसे इसी बात को लेकर किचन में झगड़ा करने लगी जिसपर मुझे काफी गुस्सा आ गया और मैंने उसके सिर के बालों को पकड़कर उसका सिर किचन के प्लेटफार्म से टकरा दिया जिससे उसके सिर में चोट आ गयी और उसकी मृत्यु हो गयी। इसके बाद अपने लड़को डीएम व टाइगर तथा भतीजे अर्जुन को साथ लेकर गाँव के जितेन्द्र राजभर को अपनी पत्नी के बीमार होने की बात बताकर इलाज कराने हेतु आजमगढ ले जाने की बात कहकर गाँव के नन्दलाल, सुबेदार व विजय को साथ लेकर मैं अपनी मित्र कपिलदेव के बताने पर रात में सीधे राजघाट आजमगढ जाकर अपनी पत्नी को जला दिया और जितेन्द्र के साथ वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भाग गये थे।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु.अ.सं- 121/24 धारा 34/302/201 भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.कैलाश राम पुत्र रामधारी सिधारी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

2.अर्जुन पुत्र सुबाष निवासी सिधारी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरण:-

1-मृतका के सिर के बाल, व टूटी चुड़ी, घटना के समय अभि० द्वारा पहनी गयी सर्ट बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्र०नि० संजय कुमार सिंह मय हमराह नि०अपराध जयप्रकाश यादव, का० भैयालाल यादव, का० हिमाशु गिरि, म०का० दीक्षा मिश्रा, का० वसीम अकरम, व उ०नि०प्र० अक्षय प्रताप सिंह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

थाना तरवां

चेकिंग के दौरान अवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 05.04.24 को उ0नि0 अरविन्द सिंह मय हमराह द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कोटिया मोड (चिरैयाकोट बार्डर बैरियर) से चेकिंग के दौरान अभियुक्त असलम उर्फ बानू पुत्र फूलचन्द नट निवासी ग्राम घुटमा थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र 40 वर्ष को 01 देशी तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीगब 03:55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 102/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- असलम उर्फ बानू पुत्र फूलचन्द नट निवासी ग्राम घुटमा थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र 40 वर्ष।

बरामदगी- 01 देशी तमन्चा नाजायज .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोरा।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 20/23 धारा 41, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/5ए/8 गो हत्या निवारण अधिनियम थाना रानीपुर जनपद मऊ।

(2) मु0अ0सं0 372/20 धारा 3 उ0प्र0 गैगैस्टर एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ।

(3) मु0अ0सं0 335/20 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/5ए/8 गो हत्या निवारण अधिनियम थाना रानीपुर जनपद मऊ।

(4) मु0अ0सं0 247/18 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/5ए/8 गो हत्या निवारण अधिनियम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

(5) मु0अ0सं0 102/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह, हे0का0 नागेन्द्र प्रसाद व का0 अजय कुमार यादव, थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर

किशोरी को भगाने में सहयोग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.04.2022 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि मेरी पुत्री दिनांक 15/04/2022 को परीक्षा देने स्कूल गयी थी अभी तक वापस नहीं आयी जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-213/2022 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➡ विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया कि अभियुक्त 1. महिकेश पुत्र हरिनाथ निवासी ग्राम बासूपार बनकट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने अभियुक्त 2. लालचन्द पुत्र पुनवासी निवासी सर्फुद्दीनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर के सहयोग से वादिनी की लडकी को भगाया था। अभियुक्त महिकेश को पूर्व में गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 05.04/2024 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त लालचन्द पुत्र पुनवासी निवासी सर्फुद्दीनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर को मुबारकपुर तिराहा से समय करीब 19:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- लालचन्द पुत्र पुनवासी निवासी सर्फुद्दीनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 33 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 213/2022 धारा 363/366/368/376 भादवि व 5(M)/6 पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, हे0का0 केश्वेन्द्र प्रताप सिंह, का0 प्रदीप गुप्ता थाना जीयनपुर आजमगढ़।

थाना अतरौलिया

अवैध असलहा, कारतूस व बाइक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 05.04.2024 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह द्वारा कनैला नहर पुलिया से चेकिंग के दौरान अभियुक्त आबिद अहमद उर्फ पप्पू पुत्र लुटन अहमद निवासी मानपुर चितबडागांव थाना चितबडा गांव जनपद बलिया को 01 देशी तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 520/- रू0 व मोटर साइकिल के साथ समय करीब 07:25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-109/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया तथा मोटर साइकिल को सीज किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 109/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- आबिद अहमद उर्फ पप्पू पुत्र लुटन अहमद निवासी मानपुर चितबडागांव थाना चितबडा गांव जनपद बलिया व उम्र-25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- 01 देशी तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 520/- रू0 व 01 मोटर साइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 संतोष कुमार, का0 धन्नु यादव, का0 चन्द्रभूषण उपाध्याय थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर

छात्रा से छेड़खानी करने वालें 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 02.04.2022 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादिनी कोचिंग पढकर आटो से अपने घर आ रही थी कि रास्ते मे 02 बाइक सवार लडके भद्दी-भद्दी गाली देते हुए भाग गये, तथा अजमतगढ़ पहुचने पर दोनो लडके मेरा मोबाइल नम्बर मागने लगे तथा मना करने पर जबरजस्ती करते हुये छेड़ने लगे उक्त लडको का नाम 1.अशोक चौहान पुत्र मिता चौहान पता मेघई खास, 2. प्रदुमन राजभर है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 128/2024 धारा 323/504/354(ख) बनाम 1.अशोक चौहान पुत्र मिता चौहान पता मेघई खास थाना जीयनपुर आजमगढ़, व 2.प्रदुमन राजभर पुत्र अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अनिल कुमार सिंह द्वारा जा रही है।

➡ दौराने विवेचना धारा 506/354-डी भादवि की बढ़ोतरी की गयी तथा अभियुक्त प्रदुमन राजभर पुत्र बालमुकुन्द राजभर नि0ग्राम जमीन मेघई नरैना थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 05.04/2024 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.अशोक चौहान पुत्र मिता चौहन ग्राम मेघई खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, व 2. प्रदुमन राजभर पुत्र बालमुकुन्द राजभर नि0ग्राम जमीन मेघई नरैना थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को अशोक चौहान के घर ग्राम मेघई से समय करीब 09:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अशोक चौहान पुत्र मिता चौहन ग्राम मेघई खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

2. प्रदुमन राजभर पुत्र बालमुकुन्द राजभर नि0ग्राम जमीन मेघई नरैना थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 124/2024 धारा 323/504/506/354-बी /354-डी भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1.अशोक चौहान पुत्र मिता चौहान निवासी मेघई खास थाना जीयनपुर आजमगढ़।

1. मु0अ0सं0- 412/2022 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, हे0का0 केश्वेन्द्र प्रताप सिंह, का0 प्रदीप गुप्ता थाना जीयनपुर आजमगढ़।

थाना – रौनापार
फोटो पर अभद्र टिप्पणी कर फोटो प्रसारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.02.2024 को वादिनी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्तों ने वादिनी के नाम की फर्जी आईडी बनाकर इंस्टाग्राम पर वादिनी के पूरे परिवार का फोटो लगाकर फोटो पर अपशब्द लिखकर वायरल कर दिया तथा पूछने पर जान से मारने की धमकी देने लगे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 71/2024 धारा 506 भादवि व 67 आईटी एक्ट बनाम 1.अंकुर गुप्ता पुत्र रामउजागिर गुप्ता 2.आकाश गुप्ता पुत्र रामउजागिर गुप्ता 3.सर्वेश गुप्ता पुत्र रामउजागिर गुप्ता साकिनान रामपुर पहिजन थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 354 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 05.04.2024 को निरीक्षक अशोक कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अंकुर गुप्ता पुत्र रामउजागिर गुप्ता सा0 रामपुर पहिजन थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 05:55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- अंकुर गुप्ता पुत्र रामउजागिर गुप्ता सा0 रामपुर पहिजन थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 71/24 धारा 354/506 भादवि व 67 IT ACT थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.निरीक्षक अशोक कुमार तिवारी पेशी कार्यालय सगड़ी जनपद आजमगढ़।
- 2.उ0नि0 सुमित सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
- 3.हे0का0 दिनेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
- 4.का0 सिकन्दर यादव थाना रौनापार आजमगढ़।